

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

क्रमांक/02-02/मु.अभि./बाणि./ 6(85)

रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रति,

मुख्य अभियन्ता(रासे/बिसे/जासे/राजसे),  
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल,  
रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/राजनांदगांव

विषय:- आई.टी.पार्क्स में स्थापित होने वाले इकाईयों को विशेष विद्युत दर लागू करने के संबंध में ।

000


राज्य शासन द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की मंशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा आई.टी.पार्क्स में स्थापित होने वाले इकाईयो हेतु निम्न विशेष विद्युत दर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

अ- उर्जा प्रभार	193.41	पैसे/ यूनिट
ब- ईंधन प्रभार समायोजन	56.59	पैसे/ यूनिट
	कुल	250.00 पैसे/ यूनिट

अरोक्त विशेष टेरिफ निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

- विद्युत शुल्क एवं उपकर राज्य शासन की नीति के अनुसार अतिरिक्त देय होगा ।
- मासिक न्यूनतम 60 यूनिट प्रतिमाह संयोजित भार के प्रति किलोवाट अथवा उसके अंश के लिये होगा । न्यूनतम प्रभार की गणना उक्त टेरिफ के अनुसार ही की जायेगी ।
- उपभोक्ताओं के साथ निष्पादित अनुबंध के अन्य शर्तें यथावत रहेंगे ।
- यह विशेष विद्युत दर राज्य में नोटीफाईड टेक्नीकल पार्क्स में स्थापित होने वाले इकाईयों को ही लागू रहेगी ।

- 5. यह विशेष विद्युत दर बिलिंग माह जुलाई 2003 से 1 वर्ष के लिये पैकेज के रूप में लागू रहेगी ।
- 6. यह पैकेज उत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अस्तित्व में आने के बाद भूतलसी प्रभाव से अनुमोदन देने की शर्तों पर दिया जा रहा है ।

  
 मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)  
 उ.रा.विद्युत मंडल,रायपुर

प्रतिलिपि:-

- 1. कार्यपालक निदेशक(संचा/संधा), उराविम, रायपुर ।
- 2. कार्यपालक निदेशक(वित्त एवं लेखा), उराविम, रायपुर ।
- 3. अधीक्षण यंत्री,(संचा/संधा)/ नगर वृत्त, उराविम,.....
- 4. समस्त कार्यपालन अभियन्ता, उराविम,.....
- 5. समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उराविम,.....